न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (द.प्र.क्षे.), कक्ष संख्या–1, जनपद–कन्नौज।

दाण्डिक प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या–M/79/12/2026

हिमांशू बनाम विनीश कुमार आदि

थाना–इन्दरगढ़, जनपद कन्नौज

CNR NO–UPKJ01–000660–2026

<u>प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस.का निस्तारण</u>

दिनांक–01.04.2026

1. पत्रावली आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4)बी.एन.एस.एस. पर आदेशार्थ पेश हुई। उक्त प्रार्थनापत्र पर आवेदक एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया।

2. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी का भाई प्रार्थी से जमीनी विवाद को लेकर रंजिश मानता चला आ रहा है। जमीन के सम्बन्ध में मैंने एक मुकदमा सिविल जज जू०डि० कन्नौज में दाखिल किया जो विचाराधीन है। दिनांक 16/17.02.2026 समय करीब रात्रि 1:30 बजे प्रार्थी के भाई विनीश कुमार उर्फ मोनू, रोहित यादव पुत्र मुन्नू गादव निवासी पटटी, विपिन यादव पुत्र भोले यादव, लाखन सिंह पाल पुत्र गोवर्धन पाल, निवासी ग्राम भरकरा उमर्दा थाना इन्दरगढ़ जिला कन्नौज एकराय होकर पुरानी रंजिश को लेकर प्रार्थी की मार्केट स्थित उमर्दा थाना इन्दरगढ़ जनपद कन्नौज पर चढ़कर आये और माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुए कहने लगे कि बहुत मुकदमे करता है, मार्केट से बाहर निकल आज तुझे जान से मार देगे। प्रार्थी ने मार्केट से बाहर निकलने व गालियां देने से मना किया जिस पर मुल्जिमान प्रार्थी के फाटक को तोड़ने का प्रयास करने लगे। प्रार्थी के शोर मचाने पर रास्ते से निकल रहे कुछ लोग आ गये तो मुल्जिमानों ने प्रार्थी के मार्केट के पास लगी समरसेविल पम्प को हथौड़े से तोड़ दिया तथा पास में खड़ी बुलेरो कार का शीशा तोड़ दिया और समरसेविल की केबिल को काटकर आग लगा दी तथा समरसेविल के स्टार्टर व मोटर को लूट ले गये। लोगों के ललकारने तथा अचानक पुलिस की गाड़ी निकलने से मुल्जिमान आइन्दा जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। प्रार्थी थाने पर रिपोर्ट लिखाने गया परन्तु रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। इसके बाद प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र जरिये रजिस्टर्ड डाक पुलिस अधीक्षक महोदय कन्नौज को दिनांक 17.02.2026 को दिया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः थानाध्यक्ष को आदेशित करे कि प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर उपरोक्त लोगों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कृपा की जाये।

3. आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक, कन्नौज को प्रेषित पत्र की प्रति मय रजिस्ट्री रसीद एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

4. संबंधित थाने से आख्या प्राप्त होकर संलग्न है।

5. न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों एवं थाने की आख्या का अवलोकन किया गया।

6. आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि विपक्षीगण द्वारा आवेदक की समरसेबिल व मोटर को लूट लिये जाने का अभिकथन किया गया है किन्तु किसी भी प्रकार की मारपीट की घटना न होना घटना को संदिग्ध बनाता है। ऐसा परिलक्षित होता है कि आवेदक द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र, आवेदक एवं विपक्षीगणों के मध्य विचाराधीन सिविल वाद की कार्यवाही की रंजिश के कारण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये इस न्यायालय का मत है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदक **हिमान्शू** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा–173(4)** बी.एन.एस.एस. **निरस्त** किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(द.प्र.क्षे) कक्ष संख्या–1, कन्नौज।
J.O.CODE–UP6489

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.04.03 16:28:26 IST
Reason: APPLICATION REJECT
Location: ADJ COURT NO 1 KANNAUJ